न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/78/2019

गजेन्द्र सिंह आयु 47 साल पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थी/प्रतिवादी

बनाम

1– टीकमसिंह आयु 60 साल । – पुत्रान रामचन्द जाति जाट निवासी खेडली
2–पदमसिंह आयु 43 साल । गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल निवासी22/180 पुष्प वाटिका कॉलोनी भरतपुर

.....असल अप्रार्थीगण/वादीगण

3–रामचन्द पुत्र हरगुन जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना
4–शिचरनसिंह पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना हाल निवासी 86 बजरंग बिहार दुर्गापुरा जयपुर
5–माया पुत्री रामचन्द पत्नी भूरीसिंह उर्फ नरेन्द्र जाति जाट निवासी करई तहसील नदबई जिला भरतपुर
6– चन्द्रकला पुत्री रामचन्द पत्नी भगतसिंह जाति जाट निवासी विजय नगर कॉलोनी फतेहपुर सीकरी रोड, सोंलकी हास्पीटल के सामने भरतपुर

.....तरतीवी अप्रार्थीगण/वादीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध दावा संख्या 78/2010 उनवानी टीकम सिंह बनाम रामचन्द वगै0 अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आर.टी. एक्ट.

निर्णय **दिनांक 27.11.2019**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 पेश किया। जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दावा संख्या 78/2010 उनवानी टीकम सिंह बनाम रामचन्द वगै0 अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के यहॉ विचाराधीन है। वादी अप्रार्थी संख्या 2 पदमसिंह राजस्व मंत्री के कॉलेज में व्याख्याता हैं और वादीगण/अप्रार्थीगण असल उच्च रसूख वाले व्यक्ति हैं। जिन्हें प्रार्थी ने एस.डी.एम. बयाना के यहां आते जाते देखा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 22.9.2019 को ऐलानिया धमकी दी है कि हमने एस.डी.एम. बयाना सन्तोष मीना जी से बात कर ली है और वे हमारे पक्ष में फैसला करेगें। एस.डी.एम. बयाना अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने पर अमादा हैं। इसलिए एस.डी.एम.बयाना श्री सन्तोष मीना से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उपखण्ड अधिकारी बयाना श्री

सन्तोष मीना की न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 78/2010 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलवी की गई। उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी.संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी न.1 व 2 की ओर लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी बयाना पीठासीन अधिकारी श्री सन्तोष मीना के न्यायालय में एक दावा संख्या 78/2010 गजेन्द्र सिंह बनाम टीकम सिंह वगै0 विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रसूख वाले व्यक्ति हैं। जिनमें अप्रार्थी संख्या 2 पदम सिंह राजस्व मन्त्री के कॉलेज में व्याख्याता है, अपने प्रभाव से पीठासीन अधिकारी श्री सन्तोष मीना के यहॉ आते जाते हैं। अप्रार्थी न.1 व 2 धमकी देते हैं कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है, और कहते हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में होगा। पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से भी ऐसा लगता है कि उनका झुकाव अप्रार्थी0 की तरफ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी श्री सन्तोष मीना से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पीठासीन अधिकारी श्री सन्तोष मीना के न्यायालय में विचाराधीन दावा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करें ताकि प्रार्थी न्याय मिल सके ।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी न0 1 व 2 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अप्रार्थी न01 व 2 ने कभी प्रार्थी को धमकी नहीं दी। दिनांक 22.9.2019 को अप्रार्थी न01 व 2 बयाना गये ही नहीं तो धमकी देने का प्रश्न कहॉ से पैदा हो गया । योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि उनकी पीठासीन अधिकारी श्री सन्तोष मीना से कभी कोई बात नहीं हुई है। प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी आपस में मिले हुये हैं ये प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं। इसीलिये यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पेश किया गया है,जो खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी न 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। अप्रार्थी न.1 व 2 ने अपने जबाब या अपनी बहस में अप्रार्थी संख्या 2 पदम सिंह के कॉलेज में व्याख्याता होने या ना होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थी ने न्याय के प्रति शंका जाहिर की है। एस.डी.ओ. बयाना ने भी अपनी टिप्पणी विचाराधीन दावा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर उन्हें कोई

आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। अस्तु प्रार्थी की न्याय के प्रति शंका को मध्य नजर रखते हुये, प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 78/2010 उनवानी टीकमसिंह वगै0 बनाम रामचन्द वगै0 को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी बयाना को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ जोगाराम)
जिला कलेक्टर,
भरतपुर